प्रेस नोट थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 23.03.2026

थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ महोदय के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.03.2026 को थाना पुवायाँ पर वादी द्वारा दी गयी तहरीर बावत 1. राजीव (पति) 2. सन्जू (जेठ) 3. गुड्डू (देवर) 5. नेत्रपाल (देवर) पुत्रगण श्यामबाबू 6. रामश्री (सास) पत्नी श्यामबाबू 7. रिंकी (ननद) पुत्री श्यामबाबू 8. सुनीता (ननद) पुत्री श्यामबाबू 8. श्यामबाबू (ससुर) पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम रहदेवा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज में 5,00,000 रुपये की मांग कर प्रताडित करना, मांग पूरी न होने पर एक राय होकर फांसी के फन्दे पर लटकाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 144/2026 धारा 85/80(2)/3(5) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजीव आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में आज दिनांक 23.03.2026 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राजीव कुमार उपरोक्त, बडागांव में मुख्य चौराहे पर खडा है । थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजीव कुमार उपरोक्त उम्र करीब 30 वर्ष को समय करीब 10.30 बजे, ग्राम बडागांव में चौराहे के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 144/2026 धारा 85/80(2)/3(5) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजीव कुमार पुत्र श्यामबाबू उम्र करीब 30 वर्ष नि0ग्रा0 रहदेवा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 144/2026 धारा 85/80(2)/3(5) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर ।

2.मु0अ0सं0 392/2024 धारा 60 अबकारी अधिनियम थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक 23.03.2026, समय करीब 10.30 बजे, ग्राम बडागांव में चौराहे के पास

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 श्री रामवीर सिंह

हे0का0 हरपाल सिंह